**प्रेषक,**

अधिशासी अभियन्ता
बैराज निर्माण खण्ड-2
कानपुर।

**सेवा में,**

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय
उ0प्र0, लखनऊ।

**पत्रांक- /बै0नि0ख02का0/निविदा दिनांक : कानपुर : जुलाई : 2018**

**विषयः-** निविदा सूचना सं0-01/अधि0अभि0/2018-19 के प्रकाशन के सम्बन्ध मे।

**महोदय,**

निविदा सूचना सं0-01/अधि0अभि0/2018-19 की 06 प्रतियां एवं उसकी सी0डी0 संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन किन्ही दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में दो दिनों के अन्तराल पर यथाशीघ्र प्रकाशित कराने एवं प्रकाशन की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

**संलग्नक-** उपरोक्तानुसार।

**(जे0पी0 सिंह)**
**अधिशासी अभियन्ता**

**पत्रांक- /बै0नि0ख02का0/निविदा तदिनांक :-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
2. मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, बैराज निर्माण मण्डल, कानपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-प्रथम, कानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि इससे उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. खण्डीय लेखाधिकारी, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर।
7. सहायक अभियन्ता-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम, बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर।
8. नोटिस बोर्ड हेतु।

**संलग्नक :-** उपरोक्तानुसार

**(जे0पी0 सिंह)**
**अधिशासी अभियन्ता**

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता**
**बैराज निर्माण खण्ड–2**
**कानपुर**

**निविदा सूचना सं0–01/अधि0अभि0/2018–19**

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदायें सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 19–07–2018 को अपरान्ह 12:30 बजे तक **"अधिशासी अभियन्ता बैराज निर्माण खण्ड–2, कानपुर तथा अधिशासी अभियन्ता बैराज निर्माण खण्ड–1 कानपुर"** के कार्यालय मे आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 19–07–2018 को अपरान्ह 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष मे समिति के अधिकृत सदस्यों एवं निविदादाताओं की उपस्थिति मे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 16–07–2018 से दिनांक 18–07–2018 को सायं 4:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस मे उपरोक्त कार्यालय मे (1) पंजीकरण प्रमाण–पत्र (2) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (I.D.T-1) (3) हैसियत प्रमाण–पत्र (I.D.T-2) (4) स्वंघोषणा शपथ–पत्र (I.D.T-3) की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जायेगी तथा उनकी सत्यापित छायाप्रतियां भी ठेकेदार तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दी जायेगी। निविदा प्रपत्र अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रमाण–पत्र जिसमे प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित किया गया हो, भी जमा करने के पश्चात निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते है।

धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी/राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रतिभूति के रुप में, जो कि **"अधिशासी अभियन्ता बैराज निर्माण खण्ड–2 कानपुर"** के पक्ष मे बन्धक हो, मान्य होगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

| लाट सं0 | कार्य का विवरण | कार्य की अनुमानित लागत (लाख मे) | धरोहर धनराशि (लाख मे) | कार्य अविध | निविदा प्रपत्र का मूल्य | सिंचाई विभाग मे पंजिकृत ठेकेदार की श्रेणी | कार्य से सम्बन्धित अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providing and Fixing of Pole Light with L.E.D. Bulb on M.S. Railing in Boat Club area at Ganga Barrage | 7.25 | 0.15 | 02 Month | 500 + GST | "D" | सहायक अभियन्ता–चतुर्थ बैराज निर्माण खण्ड–2 कानपुर |

**नोट :– निविदा की अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।**

**(जे0पी0 सिंह)**
**अधिशासी अभियन्ता**

## निविदा की अन्य शर्ते :–

1. सशर्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
2. निविदा के साथ रु0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर एक रुपया का राजस्व टिकट के साथ इस आशय का इकरारनामा देना होगा कि निविदा में दी गयी दरें निविदा खोले जाने की तिथि से 90 दिवसों की अवधि तक निविदादाता को मान्य होगी। इसके पूर्व धरोहर की धनराशि वापस नही की जा सकती है।
3. बिना कारण बताये निविदाओ को निरस्त करने सहित सम्पूर्ण अधिकार अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड–2, कानपुर का सुरक्षित होगा।
4. निर्धारित अवधि व समय तक निविदायें रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त व जमा की जा सकती है। डाक द्वारा निविदा प्रपत्र मांगने व भेजने पर रजिस्ट्री आदि का व्यय ठेकेदार को वहन करना होगा । डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा तथा इस विलम्ब के लिये विभाग उत्तरदायी नही होगा।
5. यदि डाक द्वारा भेजे गये निविदा प्रपत्र भी ठेकेदार को प्राप्त नही होते है तो इसका उत्तरदायित्व भी विभाग का नही होगा।
6. निविदा दाता निविदा डालने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण अवश्य कर ले।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेष के स्थाई आदेश 3/2000 के आदेश संख्या 3697/प्र0अ0/पूर्व अनुभाग/निविदा/लखनऊ दिनांक 17.10.2012 के अनुपालन मे निविदा के साथ दो प्रतिशत धरोहर धनराशि (अर्नेस्द मनी) तथा इस धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए शेष जमानत धनराशि को निविदा की स्वीकृत के उपरान्त अनुबन्ध गठ्ति होने से पूर्व जमा करना होगा।
8. धरोहर धनराशि के रुप मे केवल राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीकृत बैक की एफ0डी0आर0 तथा डाकखाने की पासबुक जो अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड–2, कानपुर के पदनाम बन्धक रहेगी, निविदा के साथ लाना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
9. अनुबन्ध की जमानत धनराशि पर देय नियमानुसार स्टैम्प शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु सिचाई विभाग मे नियमानुसार श्रेणी के बैध पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ–साथ उक्त कार्य से सम्बन्धित कार्य की लागत का अनुभव प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है। प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता स्तर से निर्गत हो।
11. आयकर, स्टैम्प ड्यूटी आदि की कटौती शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो के अनुसार निर्धारित दरों पर नियमानुसार बिल से की जायेगी।
12. टेक्निकल आडिट सेल अथवा ए0 जी0 आडिट निरीक्षण के समय यदि किसी प्रकार की कटौती प्रस्तावित की जाती है तो उसकी वसूली ठेकेदार के बिल अथवा जमानत धनराशि से की जायेगी।
13. निविदा प्रपत्र मे प्रत्येक आइटम की दरे अलग–अलग अंको तथा शब्दो मे लिखनी होगी, अन्य किसी प्रकार से की गयी दरे मान्य नही होगी। अंको अथवा शब्दो मे लिखी दरो मे यदि किसी प्रकार की भिन्नता है तो शब्दो मे लिखी गयी दरे ही मान्य होगी।
14. ठेकेदार को सुझाव दिया जाता है कि वह अपनी निविदाओ मे औचित्य पूर्ण (बैलेन्सड रेट) दरें भी अंकित करे, क्योकि कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार एंव तकनीकी कारणों से किसी भी आइटमो की मात्राएं किसी भी स्तर पर परिवर्तित हो सकती है। अतः बढी/धटी हुई मात्राओ का भुगतान निविदा दरो अथवा विभगीय दर जो भी कम हो, पर ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध मे बाद मे कोई भी दावा मान्य नही होगा।
15. निविदादाता द्वारा निविदा में डाली गयी दरों पर शासन द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0 अलग से देय होगी, जिसे अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा जी0एस0टी0 विभाग में जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
16. यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव या असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
17. यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबंध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
18. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने के स्थान में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना, निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
19. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्वघोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
20. प्राप्त निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि, अनुभव प्रमाण पत्र ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
21. अनुबन्ध गठ्ति होने के पश्चात यह तथ्य संज्ञान में आया कि किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्राख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

22. निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. शासनादेश संख्या– 622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी0सी0 दिनॉक 8.6.2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1% से 10% तक कम होने पर 0.5% प्रति 1% की कमी पर तथा 10% से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1% की कमी पर 1% अतिरिक्त परफारमेन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर राशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।
24. अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणपत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा।
25. यदि किसी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरे देनें का विस्तृत विवरण मांगे। यदि आशंका की पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण–दोष (मेरिट) के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।
26. ऐसे निविदादाता जिनका कोई सगा–सम्बन्धी (First blood relation & there spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन होगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता इस सम्बन्ध में नाम व पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारी पर हलफनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि मण्डल/खण्ड में कार्यरत है।
27. ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सेवा से 02 वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुये है, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की अनुमित के बिना नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगे, जो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तत्काल निरस्त कर दी जायेगी।
28. निविदादाता को उक्त निविदा की बिड में अंकित क्रमांक 03 के आइटम का कार्य निविदा प्रपत्र में संलग्न ड्राइंग/फोटों के अनुसार सम्पादित करना होगा।

**(जे0पी0 सिंह)**
**अधिशासी अभियन्ता**